

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Tuesday, 12th August 2008 /Shravan 21, 1930(Saka)

No. 265

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO, Sahdara, Delhi:

"I have the honour to inform you that S/Shri Sahab Singh Chauhan and Sh. Mohan Singh Bisht, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi were detained were detained U/s 65 of Delhi Police Act, 1978 at Keshav Chowk, Sahdara at 1145 hrs. on 12/08/2008.

They were released at 1220 hrs. from the same place on the same day i.e. 12/08/2008."

SIDDHARATH RAO
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

मंगलवार 12 अगस्त 2008/21 श्रावण 1930 (शक)

संख्या: 265

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित एस एच ओ, शाहदरा, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों श्री साहब सिंह चौहान एवं श्री मोहन सिंह बिष्ट को दिल्ली पुलिस अधिनियमकी धारा 65 के अन्तर्गत दिनांक 12-08-2008 को केशव चौक, शाहदरा, दिल्ली से 1145 बजे गिरफ्तार किया गया ।

उन्हे उसी दिन उसी स्थान से 1220 बजे रिहा कर दिया गया ।

सिद्धार्थ राव
सचिव